झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 2174 / 2023

मुकेश कुमार तिवारी, आयु 49 वर्ष, पिता- श्री कपिलदेव तिवारी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के निर्माण और खनन मशीनरी व्यवसाय (सीएमबी) में संयुक्त महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एल एंड टी हाउस, एन एम मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, डाकघर- बल्लार्ड एस्टेट, थाना-बल्लार्ड एस्टेट, जिला मुंबई 400001 और वी-4 जे के निवासी, शेरवुड एस्टेट, नरेंद्रपुर, आर के मिशन के सामने, कोलकाता 700103.

... प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. नवीन कुमार अग्रवाल, पिता- स्वर्गीय हीरालाल अग्रवाल, निवासी 3/6 एचएस टावर, एल रोड, डाकघर- बिष्टुपुर, थाना -बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, स्थायी निवाश- 193/3 सुधा भवन, न्यू सीताराम डेरा, डाकघर- न्यू सीताराम डेरा, थाना - न्यू सीताराम डेरा, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विकास पांडेय, अधिवक्ता

श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री जनक कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

श्री संजय कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा द्विवेदी, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पंकज कुमार, पी.पी.

ओ.पी.2 : श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुति</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें बिष्टुपुर से उत्पन्न पूरे आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2023 की संख्या 144 दर्ज की गई है जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 10974/2023 की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसका समर्थन याचिकाकर्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2/सूचनाकर्ता के जोड़ीदार के शपथ पत्र द्वारा किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने समझौता ज्ञापन दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से बिना किसी बल, दबाव, धमकी या प्रलोभन के मामले में समझौता कर लिया है तथा पक्षों के बीच पूर्ण एवं अंतिम समझौते के मद्देनजर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 उक्त बिष्टुपुर पी.एस. मामला संख्या 144/2023 को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक निजी विवाद है तथा इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है तथा कुछ गलतफहमी के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **नरिंदर सिंह और**

अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (2014) 6 एससीसी 466 पैराग्राफ-29 में दी गई है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:

> *"**29.** पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित सिद्धांतों को सारांशित और निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच निपटान के लिए पर्याप्त उपचार देने और संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निपटान को स्वीकार करने और कार्यवाही को रद्द करने या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करने में निर्देशित किया जाएगा:*
>
> ***29.1.** संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से अलग किया जाना है जो संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कंपाउंड करने के लिए न्यायालय में निहित है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना है।*
>
> ***29.2.** जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक निम्नलिखित को सुनिश्चित करना होगा: (i) न्याय का अंत, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को पूर्वोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर एक राय बनानी है।*
>
> ***29.3.** ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोगों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानून के तहत किए गए कथित अपराधों या लोक सेवकों द्वारा उस क्षमता में*

काम करते हुए किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

29.4. *दूसरी ओर, भारी और मुख्य रूप से नागरिक चरित्र वाले उन आपराधिक मामलों, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले या वैवाहिक संबंधों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए जब पार्टियों ने अपने पूरे विवादों को आपस में हल कर लिया हो।*

29.5. *अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को यह जांचना है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामलों की निरंतरता अभियुक्त को महान उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और आपराधिक मामलों को रद्द न करके उसके साथ घोर अन्याय होगा।*

29.6. *धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए उन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए, न कि अकेले व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह इस बात की जांच करे कि क्या आईपीसी की धारा 307 को शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो अगर साबित हो जाते हैं, तो धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को दी गई है, को देखने का विकल्प खुला होगा। पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट सामान्यत मार्गदर्शक कारक हो सकती है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है। पहले मामले में यह समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है जबकि बाद के मामले में उच्च न्यायालय के लिए पार्टियों के बीच पूर्ण निपटान के आधार पर अपराध को स्वीकार*

करने की अनुमति होगी। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पार्टियों के बीच समझौता उनके बीच सामंजस्य बनाने जा रहा है जो उनके भविष्य के संबंधों में सुधार कर सकता है।

29.7. *संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, यह तय करते समय, निपटान का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मामले जिनमें अपराध के कथित कमीशन के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामले की अभी भी जांच चल रही है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदार हो सकता है। यही कारण है कि इस स्तर पर जांच अभी भी चल रही है और यहां तक कि आरोप पत्र भी दायर नहीं किया गया है। इसी तरह, वे मामले जहां आरोप तय किया गया है, लेकिन साक्ष्य अभी शुरू नहीं हुए हैं या साक्ष्य अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों/सामग्री के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन साक्ष्य लगभग पूरा हो गया है या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, आमतौर पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए , क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि क्या धारा 307 आईपीसी प्रतिबद्ध है या नहीं। इसी प्रकार, उन मामलों में जहां दोषसिद्धि ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही दर्ज की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण में है, केवल पक्षों के बीच समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी को बरी कर दिया जाएगा जिसे पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। यहां आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप साबित होता है और जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि पहले से ही दर्ज की जाती है और इसलिए, इस तरह के अपराध के दोषी पाए गए दोषी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। (*जोर दिया गया*)*

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिष्टुपुर पीएस केस नंबर 2005 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन 2005-06 के मामले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक

है।(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 144 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और उसे रद्द कर दिया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पीपी प्रस्तुत करता है कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को बिष्टुपुर पीएस केस नं.(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 144 में रिट याचिका (सिविल) संख्या 144 दायर की है जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **परबतभाई अहीर उर्फ़ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2017)** 9 एससीसी 641 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पक्षकारों के बीच समळौते के आधार पर निर्णय दिया गया था और यह निर्णय पैरा सं 2005 में दिया गया है। 11 निम्नानुसार हैं:-

*"11. धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। क़ानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्चतर न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए। **ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 1188: (2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160:** (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल के शरीर के लिए विज्ञापन दिया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन्हें उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या एफआईआर या शिकायत को रद्द करना है निहित क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के साथ जिन विचारों का वजन होना चाहिए, वे हैं: (एससीसी पीपी। 342-43, के लिए 61)*

*"**61**. ... अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को संयोजित करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है । अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक रूप से प्रफुल्लित होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या*

(ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों के जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध, आदि; ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधिकांशत और मुख्य रूप से सिविल स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्य, दीवानी, साझेदारी या ऐसे लेनदेन या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों आदि को रद्द करने के प्रयोजनों के लिए। या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से प्रकृति में निजी या व्यक्तिगत है और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक

कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता होने के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौता करने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय के सिरों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा। (जोर दिया गया)"

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण निपटान के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता याचिकाकर्ता को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां बिष्टुपुर पीएस केस नंबर 2005 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन पक्ष ने 2005-06 में 2006-07 के मामले को खारिज कर दिया था।2023 की 144 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई थी, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, बिष्टुपुर थाना वाद सं 2005 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन2023 की 144 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग रखा जाता है।

10. परिणाम में, इस सीआरएमपी की अनुमति है।

11. तत्काल आपराधिक विविद याचिका के निपटान के मद्देनजर, अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 10974 / 2023 को तदनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित 20-दिसंबर, 2023
एएफआर / अनिमेष

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।